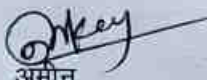


बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

क्र० सं०	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			00.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1		बांज	1	12	5	5	6	4	1	1	-	2	37
											कुल योग		37

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है। क्योंकि मोटर मार्ग हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। मार्ग दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्र की जनता के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः मार्ग हेतु कुल 37 बांज वृक्षों के पातन की संस्तुति की जाती है। उक्त वृक्षों का पातन वन विकास निगम के द्वारा वन विभाग के शैड्यूल रेट पर नियमानुसार देय बिक्री कर अदा करने पर किया जायेगा।


अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी


प्रभागिय वनाधिकारी
वन विभाग
(चमोली)

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना में बॉज वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से 37 बॉज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।


 प्रभागीय वनाधिकारी
 (पमेले)